"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 14, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्रमांक 11611/डी. 227/21-अ/प्रा./छ.ग./17.—— भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के पत्र क्रमांक 2 (14)/ 17-Leg. I/ नई दिल्ली, दिनांक 23-11-2017 के अनुसरण में दि इंडियन फॉरेस्ट (अमेंडमेन्ट) ऑर्डिनेंस, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुन: प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd November, 2017/Agrahayana 2, 1939 (Saka)

THE INDIAN FOREST (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017

No. 6 OF 2017

Promulgated by the President in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Indian Forest Act, 1927.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Indian Forest (Amendment) Ordinance, 2017.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 2 of Act 16 of 1927.

2. In the Indian Forest Act, 1927, in section 2, in clause (7), the word "bamboos" shall be omitted.

RAM NATH KOVIND,
President.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.